

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचित-1 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2013-14 की कनिष्ठ लिपिक की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति दिये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः इनके पदोन्नति आदेश प्रचलित करने हेतु इन कर्मचारियों का आवंटन उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में किया जाता है।

सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारीगण इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति आदेश प्रसारित करने से पूर्व इनके सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचि-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव की पूर्ति करते हैं। कृपया आवश्यक आदेश तत्काल जारी कर अद्यत करायें।

क्र. सं.	नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्व श्री	एस.सी. / एस. टी.	च.श्रे.क. की वरि. संख्या	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति आदेश जारी करने हेतु आवंटित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	प्रमुखसिंह पुत्र बच्चन सिंह		78	उप वन संरक्षक, झुन्झुनु	उप वन संरक्षक, सीकर
2	दूदा राम पुत्र चूना राम	एस.सी.	104	उप वन संरक्षक, जालोर	उप वन संरक्षक, जालोर
3	धर्म चन्द पुत्र लालू राम	एस.टी.	212	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौड़गढ़	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चित्तौड़गढ़
4	श्रीमती दीपिका गोस्वामी पत्नी अशोक कुमार		295	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5	मेघराज सिंह पुत्र राधेश्याम	एस.सी.	304	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
6	कालूलाल पुत्र सोहन लाल	एस.सी.	317	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर
7	विष्णु प्रसाद सैन पुत्र लक्ष्मी नारायण सैन		321	मुख्य वन संरक्षक, आर. वी.पी. कोटा	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा
8	छीतरमल पुत्र मोहन लाल		328	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
9	मदन लाल पुत्र कल्याण मल लोहार		338	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक भीलवाड़ा
10	शहादत अली पुत्र स्व. बाबू खां		342	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टीआरईई, राज. जयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टीआरईई, राज. जयपुर

६०

(यू.एम.सहाय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 ()2013/गोप्र/प्रमुखस/ 3404-3435/c दिनांक 3/जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त पदोन्नत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें अविलम्ब पदोन्नति पर नवीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति उपरान्त कनिष्ठ लिपिक के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने का इच्छुक नहीं हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित करने का कष्ट करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पदोन्नति उपरान्त आवंटित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कर्मचारियों के सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूची-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव की पूर्ति करते हैं। यदि ये वांछित योग्यता/अनुभव की पूर्ति नहीं करते हैं तो उनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जाकर इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर/आरवीपी, कोटा/जयपुर/जोधपुर/वन्य जीव, उदयपुर/अजमेर/वन्य जीव, कोटा/उदयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/
4. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु
5. उप वन संरक्षक, झुन्झुनू/जालौर/वन्य जीव, चित्तौड़गढ़/वन्यजीव कोटा/भीलवाडा/सीकर/विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर/प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
6. अध्यक्ष, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ, जयपुर/मंत्रालयिक समिति, वन विभाग, जयपुर
7. कार्मिक स्ट्रेन्थ/मंत्रालयिक अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षी पत्रावली



(पीरेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन) राजस्थान, जयपुर